न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 396/1995 विरूद्ध आदेश दिनांक 3-4-1995 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 94/1989-90/निगरानी

रामा पिता कालूजी राठौर मृतक वारिसान :-
अ-राधेश्याम पुत्र स्व0 रामा
ब-मांगीलाल पुत्र स्व0 रामा
स-शंकर पुत्र स्व0 रामा
द-सदाशिव पुत्र रामा
ई-गीता पुत्री स्व0रामा
फ-कलाबाई पुत्री स्व0 रामा
ज-सेंवती पुत्री स्व0 रामा
च-सलिताबाई पत्नी स्व0 रामा
निवासी ग्राम भवालिया बुजुर्ग तहसील धरमपुरी
जिला धार म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

भारतसिंह पिता गुलाब सिंह चौहान मृतक वारिसान :-
अ-हर्ष पिता स्व0 भारतसिंह चौहान
निवासी 86 पलसीकर कॉलोनी इंदौर
ब-आनन्द पिता स्व0भारतसिंह चाहौन
निवासी 86 पलसीकर कॉलोनी इंदौर
2-म0प्र0शासन

.....अनावेदक

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0के0शुक्ला, पेनल अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-4-1995 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा छानबीन समिति के प्रतिवेदन के आधार पर संहिता की धारा 170-ख के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 4-4-1984 को आदेश पारित किया जाकर सर्वे नम्बर 300 रकबा 4 बीघा भूमि का विक्रय सद्भाविक मान्य किया गया एवं सर्वे क्रमांक 301 रकबा0.253 हेक्टेयर भूमि का विक्रय असद्भाविक पाते हुये भूमि आदिवासी को प्रत्यावर्तित करने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 13-2-1990 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन भूमियों का आधिपत्य आदिवासी को दिये जाने के आदेश दिये गये । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3-4-1995 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से बताया कि अपर कलेक्टर द्वारा इस संबंध में कोई जॉच नहीं की गई है कि संहिता की धारा 165(6) के अन्तर्गत अनुमति जिन शर्तो के साथ दी गई थी उनका पालन किया गया है अथवा नहीं । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष यह तथ्य पूर्णतः प्रमाणित हो चुका था कि प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय में किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है । इसके बावजूद भी भूमि आदिवासी को प्रत्यावर्तित करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 170-ख के प्रकरण में संहिता की धारा 165(6) के अन्तर्गत अनुमति के संबंध में जॉच नहीं की जा सकती है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यही कहा गया कि अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित समवर्ती आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से यह निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा तथ्यों एवं वैधानिक प्रावधानों की विस्तार से विवेचना करते हुये सकारण आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में किये गये अन्तरण को असद्भाविक ठहराया है । अपर कलेक्टर के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के हुये अन्तरण को जिन आधारों पर असद्भाविक ठहराया गया है वे आधार अभिलेख से उचित प्रतीत होते हैं । इस प्रकार अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पूर्णतः

वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-4-1995 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर